भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1971
दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

†1971. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में, विशेष रूप से मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितने बच्चों को शामिल किया गया है तथा राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी निधियां आवंटित और उपयोग की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रसव पूर्व निदान के माध्यम से आनुवंशिक विकारों/अन्य रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार के अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजन के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 6.18 करोड़ बच्चों की जांच की गई है, 23.43 लाख बच्चों की चुनिंदा स्वास्थ्य स्थितियों के साथ पहचान की गई है और 18.21 लाख बच्चों को मध्यम /विशिष्ट परिचर्या प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित आरबीएसके के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आबंटन और उपयोग का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में आनुवंशिक विकारों के भार का समाधान करने के लिए उनके द्वारा वंशानुगत विकारों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट तरीके (यूएमएमआईडी) पहल

शुरू की गई थी। यूएमएमआईडी पहल के घटकों में से एक नैदानिक परिचर्या प्रदान करने के लिए निदान केंद्रों (राष्ट्रीय वंशानुगत रोग प्रशासन केंद्र) की स्थापना कर रहा है, जिसमें आनुवंशिक विकारों के लिए प्रसवपूर्व परीक्षण, अपेक्षाकृत सामान्य उपचार योग्य आनुवंशिक चयापचय विकारों के लिए नवजात शिशु की जांच और आनुवंशिक विकारों के उच्च जोखिम वाले भ्रूण वाली गर्भवती माताओं की आनुवंशिक परामर्श के कार्यकलाप शामिल हैं। इस पहल के तहत, देश के 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले सरकारी अस्पतालों में 26 निदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। डीबीटी-उम्मीद-निदान केंद्रों की पहल के लिए आवंटित कुल राशि लगभग 47.65 करोड़ रुपये है।

अनुलग्नक

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1971 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का विवरण

(लाख रु में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	140.47	97.40	40.98	11.83	38.51	23.81
2	आंध्र प्रदेश	2,699.79	2,588.46	2666.97	991.00	742.93	744.04
3	अरुणाचल प्रदेश	875.73	781.69	362.40	345.61	382.95	65.88
4	असम	6,937.97	6,625.21	1988.05	1762.73	1,908.56	1,985.72
5	बिहार	3,464.51	5,364.53	4588.31	2831.79	4,637.23	3,362.91
6	चंडीगढ़	177.21	164.26	80.50	14.01	52.50	24.81
7	छत्तीसगढ़	6,416.74	5,139.74	2571.56	1976.74	2,602.08	1,767.17
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	261.00	166.61	51.35	33.96	50.60	27.44
9	दिल्ली	389.56	-	1127.67	674.48	963.40	571.26
10	गोवा	367.68	253.36	119.64	49.37	101.65	85.50
11	गुजरात	16,491.77	14,768.49	7497.93	5614.82	7,000.65	9,342.25
12	हरियाणा	3,858.99	2,740.98	1849.16	1415.77	1,633.22	1,707.75
13	हिमाचल प्रदेश	2,176.26	2,098.90	977.93	793.89	1,030.53	964.69
14	जम्मू और कश्मीर	5,176.20	4,966.26	1533.54	902.79	1,807.94	840.76
15	झारखंड	5,515.02	1,668.88	1630.42	649.52	1,544.21	866.63
16	कर्नाटक	7,047.66	6,349.53	2805.64	1773.11	2,026.96	2,029.84
17	केरल	5,738.44	6,119.49	4524.74	4351.30	4,367.06	1,253.76
18	लद्दाख	444.77	397.78	157.60	106.73	153.40	144.54

19	लक्षद्वीप	10.54	-	6.41	0.00	3.50	-
20	मध्य प्रदेश	15,461.51	13,346.65	6082.33	5562.25	6,268.15	5,876.47
21	महाराष्ट्र	22,714.47	18,719.86	10336.18	6668.33	6,612.24	5,405.08
22	मणिपुर	2,575.41	320.39	2581.43	1742.88	1,100.70	233.34
23	मेघालय	1,641.05	930.61	827.54	819.88	770.34	692.61
24	मिजोरम	662.39	615.51	234.63	123.67	216.34	194.06
25	नागालैंड	358.57	174.80	183.81	28.54	172.60	71.21
26	ओडिशा	11,997.79	10,627.72	4003.81	5149.23	3,458.60	3,773.59
27	पुडुचेरी	105.87	51.81	58.45	9.42	52.78	23.44
28	पंजाब	4,231.52	4,322.30	1912.08	1370.60	1,552.08	1,552.08
29	राजस्थान	12,875.76	5,206.94	4140.24	1949.51	4,140.24	1,739.96
30	सिक्किम	228.57	59.72	83.64	67.93	63.85	40.89
31	तमिलनाडु	10,248.43	7,080.80	5368.93	3401.87	5,215.92	4,535.13
32	तेलंगाना	6,417.94	5,723.84	2210.62	719.54	1,813.52	682.61
33	त्रिपुरा	1,007.92	613.34	531.05	283.33	434.16	235.97
34	उत्तर प्रदेश	35,703.40	23,127.42	8696.49	7253.34	10,914.11	7,356.60
35	उत्तराखंड	3,534.96	3,280.54	1792.79	1073.90	1,611.49	1,168.97
36	पश्चिम बंगाल	14,419.37	9,773.06	4833.84	3244.90	4,707.27	3,352.01

नोट:1. एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार है और अनंतिम हैं।

2. व्यय में केंद्र द्वारा जारी धनराशि, तदनुरूपी राज्य के हिस्से की जारी धनराशि और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष राशि के व्यय शामिल है और अनंतिम है।